संख्या–1275 /9–9–12–205ज/12

1196-नि०-20/9/12

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0,लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2012**

विषयः नगरीय स्थानीय निकायों में शत् प्रतिशत भवन व भूमि को सम्पत्ति कर से आच्छादित करने हेतु अभियान।

महोदय,

प्रदेश की स्थानीय नागर निकायें संवैधानिक रूप में स्वायत्तशासी स्वरूप में गठित हैं और उनके कार्य भी स्पष्ट रूप में संगत अधिनियमों में निर्धारित हैं। निकायों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु यह परम आवश्यक है कि वे आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनें। कतिपय नागर निकायों द्वारा अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने में अपेक्षित रूचि न लेने के कारण वे उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं और फलस्वरूप अपने दायित्व के अनुसार स्थानीय नागरिकों को वांछित मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो पा रहीं हैं।

2. स्थानीय निकायों की आय के प्रमुख संसाधनों में सम्पत्ति कर से प्राप्त होने वाली आय है। इस मद से प्राप्त आय इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उस निकाय में भवनों भूमियों की कराच्छादन की स्थिति कैसी है। जिस निकाय में जितना अधिक कराच्छादन होगा वहां की सम्पत्ति कर की आय उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार किसी भी निकाय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कराच्छादन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कर निर्धारण प्रणाली के कतिपय दोषों को समाप्त कर उसे पारदर्शी और जनापेक्षाओं के अनुरूप बनाने के दृष्टिकोण से स्वकर निर्धारण प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। इस प्रणाली का व्यापक प्रचार–प्रसार, जन सम्पर्क कर नागरिकों को इसके बारे में जानकारी देते हुए स्वकर निर्धारण के लिए प्रोत्साहन और सकारात्मक सोच के अभाव में कतिपय निकायों में इस दिशा में आशानुरूप उपलब्धि नहीं मिल पायी है। स्वकर निर्धारण हेतु निर्धारित तिथि व्यतीत हो जाने के पश्चात् निकाय कर्मियों द्वारा नियमानुसार करारोपण की व्यवस्था होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण कार्य में अपेक्षित रूचि का अभाव दृष्टिगत हो रहा है। परिणामस्वरूप अधिकांश नगरीय निकायों में पर्याप्त संख्या में भवन/भूमि कराच्छादन से अभी–भी छूटे हुये हैं, जो उचित नहीं है।

3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय में समस्त भवन/भूमि को सम्पत्तिकर से शत् प्रतिशत आच्छादित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

1. दिनांक 20 सितम्बर से 10 अक्टूबर 2012 तक कर से अनाच्छादित भवनों/भूमियों का वार्डवार चिन्हीकरण वार्ड के राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जाय।
2. दिनांक 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक उपरोक्तानुसार चिन्हीकृत भवनों के विवरण को सम्बन्धित स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

go-y

MKNA
IT office / प्रोग्रामर
कृ. तुरन्त कार्य करें।
2/9/12